डा0 के0के0 पाल
राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / C15-2 / 2018

दिनांक : 23 मई, 2018

**आदेश**

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–10(7) के अन्तर्गत आदेश संख्या–3129 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रो0 एच0एस0 धामी, कुलपति, उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा को उनके वर्तमान कार्य दायित्वों के साथ–साथ छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्य दायित्वों के निर्वहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 27 मई, 2018 को समाप्त हो रहा है।

नये नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। किन्तु शासन से पैनल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–10(7) के अधीन कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्रो0 एच0एस0 धामी को हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्य दायित्व के निर्वहन के अतिरिक्त प्रभार के कार्यकाल को दिनांक 28 मई, 2018 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0–
(डा0 के0 के0 पाल)
कुलाधिपति

संख्या–712 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / C15-2 / 2018 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से भी कि विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के चयन का पैनल शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कुलपति / कुलसचिव, उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
5. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव